

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936

No. 03]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSA 12, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VII/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2011, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है नामत् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2011 के विनियम 23 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् :—

“(2) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम फा. सं. एस-एडमिन/III/8/2010 दिनांक 29-03-2011 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 23 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely :—

“(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* F. No. S-Admn./II/8/2010 dated 29-03-2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पट्टा संहिता) विनियम, 2011 के विनियम 9 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

“(2) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्यधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम फा. सं. सा.का.नि. 612(अ) दिनांक 27-08-2008 और फा. सं. एम(आइ)/टी4एस/सीजीडी/1/2010 दिनांक 16.12.2014 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे तथा सा.का.नि. 750(अ) दिनांक 14-10-2009 के माध्यम से संशोधित हुए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 9 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Ext./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified vide G.S.R. 612(E) dated 27-08-2008, amended vide G.S.R. 750(E) dated 14-10-2009 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010 dated 16-12-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना विनियम, 2008 के विनियम 19 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

“19. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 19-03-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि 800(अ) दिनांक 19-11-2008, सा.का.नि 295 (अ) दिनांक 30-04-2009, सा.का.नि 478(अ) दिनांक 07-06-2010, सा.का.नि 605(अ) दिनांक 19-07-2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी रेग्युलेशंस/रिव्यू-2011/2012-III दिनांक 21-06-2013, एवं फा.सं. पीएनजी आरबी/ सीजीडी/विड/4/2013-प्रिविड दिनांक 07-04-2014, के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 19 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

“19. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 196(E) dated 19-03-2008 and amended *vide* G.S.R. 800(E) dated 19-11-2008, G.S.R. 295(E) dated 30-04-2009, G.S.R. 478(E) dated 07-06-2010, G.S.R. 605(E) dated 19-07-2010, F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21-06-2013 and F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PREBID dated 07-04-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (केवल नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (केवल नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (केवल नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) निम्नलिखित को विनियम 2008 के विनियम 11 में प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् :—
- “11. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि.198(अ) दिनांक 19-03-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि 604(अ) दिनांक 09-07-2010 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely :—

“11. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT III/4/Exty./188/14]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* GSR 198(E) dated 19/03/2008 and amended *vide* GSR 604(E) dated 09-07-2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सी एन जी के कम्प्रेशन के प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(3) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सी एन जी के कम्प्रेशन के प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(4) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क और सी एन जी के कम्प्रेशन के प्रभार हेतु नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008, के विनियम 6 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

“6. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।” ।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 197(अ) दिनांक 19/03/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 801(अ.) दिनांक 19/11/2008, सा.का.नि. 479(अ.) दिनांक 07/06/2010 तथा फा. सं. एम(सी)/2012 दिनांक 21/03/2012 के माध्यम से संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

“6. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified vide GSR 197(E) dated 19-03-2008 and amended vide G.S.R. 801(E) dated 19-11-2008, G.S.R. 479(E) dated 07-06-2010 and F. No. M(C)/2012 dated 21-03-2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

“(1) विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 476(अ.) दिनांक 07-06-2010 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 9 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

“(1) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Extty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 476(E) dated 07/06/2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विधि/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) विनियम, 2009, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) विनियम 2009, के विनियम 10 में, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(1) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम सा.का.नि. 808(अ) दिनांक 11-11-2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और फा. सं. आरइजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012 दिनांक 03-09-2012 तथा फा. सं. आरइजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012 दिनांक 14-03-2014 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 10 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

“(1) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 808(E) dated 11-11-2009 and amended *vide* F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012 dated 03-09-2012 and F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012 dated 14-03-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2009, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की घोषणा या प्राधिकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम 2009, के विनियम 11 में, उप-विनियम (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(ख) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 273(अ) दिनांक 21/04/2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2009, namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Natural Gas Pipeline as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2009, for sub-clause (b), the following shall be substituted, namely:—

“(b) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 273(E) dated 21-04-2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008, के विनियम 6 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“6. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 807(अ.) दिनांक 20-11-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 986(अ.) दिनांक 20-12-2010, फा. सं पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/फाईनल टैरिफ फाईलिंग दिनांक 30-05-2012, फा. सं. पी एस/एसइसीवाई एम(सी)/ 2012 दिनांक 13-09-2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17-02-2014 तथा फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100 दिनांक 27-02-2014, के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

“6. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 807(E) dated 20-11-2008 and amended *vide* G.S.R. 986(E) dated 20-12-2010, F. No. PNGRB/M(C) /11/Final Tariff Filing dated 30-05-2012, F. No. PS/Secy./M(C)/2012 dated 13-09-2012, F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 17-02-2014 and F. No. PNGRB/M (C)/100, dated 27-02-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 2015

फा. सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनी के लिए आचार संहिता) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनी के लिए आचार संहिता) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनी के लिए आचार संहिता) विनियम, 2008, के विनियम 12 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“12. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 540(अ) दिनांक 17-07-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/42 दिनांक 19/02/2014 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely :—

“12. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulation were notified *vide* GSR 540(E) dated 17-07-2008 and amended *vide* F. No. PNGRB/M(C)/42 19-02-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है नामत् : —

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) विनियम, 2008, के विनियम 19 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : —

“19. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 541(अ) दिनांक 17-07-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 274(अ.) दिनांक 21-04-2009 तथा फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17-02-2014 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 19 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

“19. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 541(E) dated 17/07/2008 and amended *vide* G.S.R. 274(E) dated 21-04-2009 and F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 17-02-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फ. सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, के विनियम 21 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

“21. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।” ।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 340(अ) दिनांक 06-05-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 802(अ) दिनांक 19-11-2008, सा.का.नि. 769(अ) दिनांक 20-10-2009, सा.का.नि. 38(अ) दिनांक 18/01/2010, सा.का.नि. 480(अ) दिनांक 17-06-2010, सा.का.नि. 594(अ) दिनांक 09-07-2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17-02-2014 तथा फा. सं. पीएनजी-आरबी/रेग्युलेशंस/अमेंड-2014 दिनांक 08-08-2014 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 21 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:—

“21. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT. III/4/Ext./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 340(E) dated 06/05/2008 and amended *vide* G.S.R. 802(E) dated 19-11-2008, G.S.R. 769(E) dated 20-10-2009, G.S.R. 38(E) dated 18-01-2010, G.S.R. 480(E) dated 07-06-2010, G.S.R. 594(E) dated 09-07-2010, F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 17-02-2014 and F. No. PNGRB/REGULATIONS/AMEND-2014 dated 8-8-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2012, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2012 के विनियम 11 में उप-नियम (घ) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् :—

“ (घ) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। ” ।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम फा. सं. एम(सी)/2009 दिनांक 5-7-2012 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012, namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012, for sub-clause (d), the following shall be substituted, namely:—

“(d) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* F. No. M(C)/2009, dated 5-7-2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क का निर्धारण) विनियम, 2010, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क का निर्धारण) विनियम, 2012, के विनियम 6 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“6. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।” ।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 987(अ), दिनांक 20-12-2010 के माध्यम से अधि सूचित हुए थे और फा. सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012 दिनांक 13-12-2012 तथा फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 16-12-2014 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, the following shall be substituted, namely:—

“6. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 987(E), dated 20-12-2010 and amended *vide* F. No. PNGRB/M (C)/62/2012, dated 13-12-2012 and F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 16-12-2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विधि/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2012, के विनियम 22 में उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 722(अ), दिनांक 1-9-2010 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 22 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 722(E), dated 1-9-2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) विनियम, 2010, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) विनियम, 2010, के विनियम 6 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् : :—

“6. सामान्य.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 481(अ), दिनांक 7-6-2010 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 721(अ) दिनांक 1-9-2010 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Regulations, 2010, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Regulations, 2010, the following shall be substituted, namely:—

“6. General.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 481(E), dated 07/06/2010 and amended *vide* G.S.R. 721(E) dated 1-9-2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति) विनियम, 2010, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक [आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) की आचरण पद्धति] विनियम, 2010, के विनियम 30.0 में उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(2) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 39(अ), दिनांक 18-1-2010 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)] Regulations, 2010, namely:—

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)] Amendment Regulations, 2014, namely:-
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 30.0 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP) Regulations, 2010, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 39(E) dated 18-1-2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों के विकास की प्रक्रिया) विनियम, 2009, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों के विकास की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों के विकास की प्रक्रिया) विनियम, 2009, के विनियम 14 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“14 विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 323(अ), दिनांक 14-5-2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VI/I/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Regulations, 2009, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Amendment Regulations, 2014, namely:—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 14 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Regulations, 2009, the following shall be substituted, namely :—

“14. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 323(E), dated 14-5-2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2009, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2009, के विनियम 7 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“7. व्याख्या.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 731(अ), दिनांक 26-11-2007 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे एवं सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 7-6-2010 तथा फा. सं. लीगल/50/2013, दिनांक 21-6-2013 के माध्यम से संशोधित हुए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/1/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations, 2007, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Amendment Regulations, 2014 namely:—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 7 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations, 2007, the following shall be substituted, namely :—

“7. Interpretation.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 731(E), dated 26-11-2007 and amended *vide* G.S.R. 477(E), dated 7-6-2010 and F. No. Legal/50/2013, dated 21-06-2013.